131/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13.06.25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। प्रा·पत्र, जवाब प्रार्थनापत्र एवं संलग्न राजस्व दस्तावेजात का अवलोकन किया। अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करके एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर मूलवाद के हमराह हो। 13/6/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपजिल

प्रकरण संख्या 131/2024

प्रकरण दायर दिनांक 26.09.2

प्रकरण निर्णय दिनांक 13.06.

तेज सिंह पुत्र बहादुर सिंह र
जिला दौसा ।

1. मगन सिंह पुत्र प्रभात्या ज
2. रामसिंह पुत्र प्रभात्या तह०
3. उपपंजीयन अधिकारी, उप

प्रार्थी द्वारा विरुद्ध
तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
पीचूपाडा खुर्द पटवार हल्का
संख्या नई 33 पुरानी 35 के
है० वार्षिक लगानी 10.92 रू
किया जावेगा । भूमि मुतदावि
है इस कारण पक्षकारान का
नही किया गया है कि कौन
के हिस्से में आया तथा कौन
हुआ है अभी उक्त भूमि का
नम्बरान की भूमि में प्रार्थी क
का 179/637 वां हिस्सा है
रखा है लेकिन भूमि को बोते
में विवाद हो जाता है तथा
सरकार व भारत सरकार के
नही कर सकता है इसलिये
अनुसार सरस नरस के हिसा
चक व अलग खाता व अल
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रा
हिस्से से बेदखल करने की
पुख्ता निर्माण करके दीगर ल

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्या 131/2024
प्रकरण दायर दिनांक 26.09.2024
प्रकरण निर्णय दिनांक 13.06.2025

उनवान

तेज सिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपूत उम्र 40 साल जाति राजपूत निवासी पीचूपाडा खुर्द तहसील बॉदीकुई जिला दौसा । :—प्रार्थी

बनाम

1. मगन सिंह पुत्र प्रभात्या जाति राजपूत निवासी पीचूपाडा खुर्द
2. रामसिंह पुत्र प्रभात्या तह० बाँदीकुई जिला दौसा ।
3. उपपंजीयन अधिकारी, उपतहसील बॉदीकुई, जिला दौसा । :—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण जर्ये वकील श्री सुरेश कुमार गुर्जर न्यायालय हाजा में दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पेश किया कि ग्राम पीचूपाडा खुर्द पटवार हल्का पीचूपाडा खुर्द तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 33 पुरानी 35 के खसरा नम्बर 1331/691 रकबा 0.91 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.91 है० वार्षिक लगानी 10.92 रूपये स्थित है जिसको आगे चल कर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा । भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 2 प्रार्थना पत्र का अभी तक विधिवत तकासमा नहीं हुआ है इस कारण पक्षकारान का भूमि मुतदाविया में अनडिवाईडेड शेयर अविवाजित भूमि पर यह निर्धारित नही किया गया है कि कौनसा हिस्सा कौनसी दिशा तथा कौनसा भू—भाग उक्त खसरा नम्बर में प्रार्थी के हिस्से में आया तथा कौनसा भू—भाग हिस्सा अप्रार्थी के हिस्से में आया चूँकि यह अभी निर्धारित नही हुआ है अभी उक्त भूमि का विधिवत सरस नरस के अनुसार तकासमा नही हुआ है ऐसे में सम्पूर्ण खसरा नम्बरान की भूमि में प्रार्थी का हिस्सा व हक कब्जा काश्त कानूनन बनता है। भूमि मुतदाविया में प्रार्थी का 179/637 वां हिस्सा है। भूमि मुतदाविया को पक्षकारान ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बांट रखा है लेकिन भूमि को बोते समय व फसल काटते समय पक्षकारान में कमती ज्यादा को लेकर आपस में विवाद हो जाता है तथा लगान जमा कराते समय विवाद हो जाता है तथा कोई भी पक्ष राज्य सरकार व भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली कृर्षि सहायता भी बिना एक दूसरे की सहमति के प्राप्त नही कर सकता है इसलिये भूमि मुतदाविया का सरस नरस के अनुसार तकासमा किया जाकर कब्जे के अनुसार सरस नरस के हिसाब से प्रार्थी के उसके 179/637 हिस्से का तकासमा किया जाकर अलग चक व अलग खाता व अलग लगान कायम किया जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावें । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा वे प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल करने की नियत से भूमि का बिना विधिवत तकासमा करवाये ही अब भूमि में खाम व पुख्ता निर्माण करके दीगर लोगो को बेचान करने पर आमादा है तथा ऐलानियां धमकि दे रहा है कि मै प्रार्थी को उनकी भूमि से बेदखल करके अपना नाजायज कब्जा करके पुख्ता निर्माण करके दीगर लोगो को बेचकर रहूँगा लाठी के बल पर प्रार्थी भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करके रहूँगा तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त भी नही करने नही दूँगा। यदि प्रार्थी ने रोकने की कोशिश की तो जान से मार देगे, तथा प्रार्थी के द्वारा यदिहमारे/अप्रार्थी के विरूद्ध कोई भी पुलिस कार्यवाही या

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायिक कार्यवाही की तो प्रार्थी को गांव से निकाल देगे तथा प्रार्थी के उपर उसके परिवारजन के उपर झूठे संगीन मुकदमें लगाकर जेल में बंद करवा देगे । प्रार्थी गरीब व्यक्ति है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मुकाबिला करने में असमर्थ है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जबरन बिना तकासमा हुये ही प्रार्थी को उसकी भूमि से बेदखल कर बेचान करने, पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है तथा प्रार्थी के हक हिस्से व अधिकारात की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है है ऐसी सूरत में प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबद करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थी सं० 1 व 2 स्वय या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 2 का जब तक मौके व कब्जे के अनुसार विधिवत तकासमा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे तब तक किसी दीगर सख्स को रहन बय हस्तान्तरित करने से, खाम या पुख्ता निर्माण करने से, प्रार्थी को फसल बोते समय फसल काटते समय विवाद करने से, भूमि में उगे हुये पेड पोधो को काटने से खोदने से पाबंद रहे, प्रार्थी के कब्जे काश्त इस्तेमाल उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से पाबंद रहे अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा भूमि मुतदाविया की बाबत पेश किये जाने वाले किसी भी रहन नामा बयनामा, दान पत्र, आदि को पंजीकृत करने से एव अप्रार्थी सं० 3 बहैसियत भूमिधारी राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से पाबंद रहे। भूमि मुतदाविया की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। दिनांक 20/9/2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने साथा अपने करीबन 15–20 मददगारान को लेकर भूमि मुतदाविया पर काफी लोगो लेकर भूमि पर आ गया तथा आते ही भूमि मुतदाविया पर अवैध तरीके से नाप करने लगे प्रार्थी ने नाप करने से मना किया तो अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकि कि हम अब इस भुमि को दीगर लोगो को बिना तकासमा हुये ही बेच कर रहेगे एवम प्रार्थी के हक हिस्से कब्जे काश्त की भूमि को जबरन कब्जा करने की नियत से आमादा हो गये प्रार्थी ने मना किया तो अप्रार्थी आमादा फिसाद हो गये बड़ी मुश्किल से से आप पास के लोगो ने बीच बचाव करवाया नही तो जान से मार देते फिर भी प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से कहा कि पहले भूमि का आपसी सहमति के आधार पर तकासमा करवाकर अलग अलग खाते कायम करवालो फिर आप अपने हिस्से की भूमि पर पुख्ता निर्माण करना या किसी को रहन बय कर देना, अपने हिस्से पर अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग उपभोग करना तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कहा कि अब हम तेरी भूमि पर भी अपना नाजायज कब्जा करके रहेगे तथा अप्रार्थी ने तकासमा करवाने से साफ मना कर दिया व कहा कि हम तो बिना तकासमा करवाये ही प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर लाठी के जोर पर निर्माण करके रहेगे व दीगर लोगो को बेचान करके रहेगे। तथा प्रार्थी को उसके हक हिस्से व अधिकारात की भूमि से बेदखल करके अपना नाजायज कब्जा करके रहूँगा तथा काश्त नही करने देगे। यदि अप्रार्थी अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकन चल पड़ेगे जो बाय से बरबादी प्रार्थी होगी ऐसी सूरत मे सिवाय प्रार्थना पत्र के और कोई चारा नजर नहीं आया इस कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया प्रथम दृष्टया केश सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबद करवाने की अधिकारी है कि अप्रार्थी न० 1 व 2 स्वय या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 33 पुरानी 35 के खसरा नम्बर 1331/691 रकबा 0.91 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.91 है० वार्षिक लगानी 10.92 रूपये स्थित पीचूपाडा खुर्द तहसील बोंदीकुई जिला दौसा का जब तक मौके व कब्जे के अनुसार विधिवत तकास्मा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे तब तक किसी दीगर सख्स को रहन बय हस्तान्तरित करने से, खाम या पुख्ता निर्माण करने से, प्रार्थी के कब्जे काश्त इस्तेमाल उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, पेड पोधो को खोदने से व काटने से, कृर्षि भूमि को अकृर्षि में परिवर्तित करने से पाबंद रहे

उप खण्ड अधिकारी
बोंदीकुई (दौसा)

अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहन नामा बयनामा आदि को पंजीकृत करने से एव अप्रार्थी राजस्व रिकार्ड मे किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से पाबंद रहे। भूमि मुतदाविया की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे ।

प्रकरण में प्रार्थी वकील को सुनने के बाद दिनांक 26.09.2024 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस सम्मन विधिवत की गयी। अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 की ओर से एड. श्री अमरसिंह गुर्जर उपस्थित आये एवं अप्रार्थी संख्या 03 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा जर्ये वकील श्री अमरसिंह गुर्जर के जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 01 में दावा पेश करना स्वीकार है। शेष कथन अस्वीकार है। यकीनन दावा व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 02 अभिलेखित है जवाब मोहताज नहीं है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 03 में वर्णित कथन भूमि का अभी विधिवत बंटवारा नहीं करना बहामी रूप से बांटकर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होना स्वीकार है। बाकी कथन गलत है स्वीकार नहीं है। भूमि मुतदाविया का पक्षकारान द्वारा बहामी बंटवारा कर अपने अपने अलग अलग खेत बनाकर काबिज काश्त है। मिन अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा उसी अनुसार अपेन हिस्से पर मिन अप्रार्थी मगनसिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर बोरिंग कर रखी है तथा पुख्ता मकान बना रखा है जिस पर काबिज काश्त है तथा उपयोग उपभोग मिन अप्रार्थीगण करते चले आ रहे है तथा बहामी बंटवारा अनुसार विधिक बंटवारा कराने हेतु मिन अप्रार्थीगण को कोई उज्ज या ऐतराज नही है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 4 कतई गलत है स्वीकार नही है। मिन अप्रार्थी सं. 01 के कोई पुत्र या पुत्री संतान नहीं होने से प्रार्थी मिन अप्रार्थी सं. 01 की भूमि पर स्वयं नाजायज कब्जा करना चाहता है तथा मिन अप्रार्थी सं. 01 की भूमि व मकान को हडपने के उद्देश्य से मिन अप्रार्थी के साथ झगडा फिसाद करता है तथा जान से मारने का भी प्रयास करता है जिस हेतु मिन अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध इस्तगासा अदालता हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थी को झगडा फिसाद नहीं करने हेतु पाबंद किया है प्रार्थी द्वारा कतई गलत आधारों पर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा मिन अप्रार्थी सं. 01 की अप्रार्थी सं. 02 सेवा आदि करता है तथा हर प्रकार से ख्याल रखता है तथा अप्रार्थी सं. 01 के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी सं. 02 ही काश्त करता हैं जिससे प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 01 से रंजिश रखता है तथा मिन अप्रार्थी सं. 01 की भूमि को हडपना चाहता है तथा इसी उद्देश्य से कतई गलत आचारों पर दावा व प्रार्थना पत्र दप्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र का पैरा सं. 05 कतई गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा कतई गलत आधारों पर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तकास्मा हेतु मिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से कभी इंकार नहीं किया है न ही कभी कोई झगडा फिसाद किया है। अप्रार्थी सं. 01 की अप्रार्थी सं. 02 द्वारा सेवा सुश्रुषा करने से प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण से रंजिश रखता है तथा मिन अप्रार्थीगण को उनके हक अधिकारो से वंचित करने के उद्देश्य से कतई गलत आधारों पर दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है जो प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज होने योग्य है। प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया केस है ना ही सुविधा का संतुलनप्रार्थीके पक्ष मेंना ही अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित है। पक्षकारान बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है। अस्थायी निषेधाज्ञा की स्थिति में अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी तथा अप्रार्थीगण भारत सरकार व राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता से भी वंचित हो जावेगे तथा अप्रार्थीगण भूमि के सहखातेदार है तथा सहखातेदार के विरूद्ध कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 02 में वर्णित भूमि का पक्षकारान द्वारा बहामी बंटवारा कर अपने अपने हिस्सों पर काबिज काश्त है तथा विधिक तकास्मा हेतु सदैव तैयार है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण से रंजिश रखता है तथा अप्रार्थी सं. 01 के कोई पुत्र व पुत्री संतान नहीं होने से प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 01 की भूमि को हडपना चाहता है तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये कतई गलत आधारों

उप खण्ड अधिकारी
डांगीकुई (दौसा)

पर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण भूमि के सहखातेदार है तथा सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्त द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने और अन्य कोई अनुतोष जो अप्रार्थीगण के हित में हो और प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के विनिश्चय हेतु तीन आधारभूत विचारणीय बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

01. प्रथम दृष्टया मामला
02. सुविधा का संतुलन
03. अपूरणीय क्षति

01.प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला के बिन्दु पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी का तर्क रहा है कि भूमि ग्राम पीचूपाडा खुर्द पटवार हल्का पीचूपाडा खुर्द तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 33 पुरानी 35 के खसरा नम्बर 1331/691 रकबा 0.91 है० कुल किता 1 कुल रकबा 0.91 है० का जब तक मौके व कब्जे के अनुसार विधिवत तकासमा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे तब तक किसी दीगर सख्स को रहन बय हस्तान्तरित करने से, खाम या पुख्ता निर्माण करने से, प्रार्थी के कब्जे काश्त इस्तेमाल उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, पेड पोधो को खोदने से व काटने से, कृर्षि भूमि को अकृर्षि में परिवर्तित करने से पाबंद रहे अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहन नामा बयनामा आदि को पंजीकृत करने से एव अप्रार्थी राजस्व रिकार्ड मे किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से पाबंद रहे। भूमि मुतदाविया की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधित फरमावें।

इसके विपरीत विद्वान अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अप्रार्थीगण भूमि के सहखातेदार है तथा सहखातेदार के विरूद्ध कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान द्वारा बहामी बंटवारा कर अपने अपने हिस्सों पर काबिज काश्त है तथा विधिक तकास्मा हेतु सदैव तैयार है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण से रंजिश रखता है तथा अप्रार्थी सं. 01 के कोई पुत्र व पुत्री संतान नहीं होने से प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 01 की भूमि को हडपना चाहता है तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये कतई गलत आधारों पर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने और अन्य कोई अनुतोष जो अप्रार्थीगण के हित में और प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्षो के तर्को पर मनन व पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 सहखातेदार है अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा दावा को प्राथमिक डिकी किये जाने बाबत सहमति प्रदान की है। सहखातेदार को विवादित भूमि में पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाये है अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नहीं पाया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन तथा
3. अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

इन दोनो बिन्दुओं का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है जहां तक सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु का संबंध है इस संबंध में न्यायालय की राय है कि प्रथम दृष्टया पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है। जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि को दीगर सख्स को रहन बय किया जा रहा हो। वादग्रस्त भूमि शामलाती भूमि है ऐसे में किसी सहखातेदार को उसकी खातेदारी भूमि से अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी तीनो ही बिन्दु अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहता है तो अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है हस्तगत प्रकरण में भी प्रार्थीगण द्वारा प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु अपने पक्ष में साबित नहीं किया है। अतः सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। ये दोनो बिन्दु ही उक्त अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाते है। परिणाम स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति, तीनो ही बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। इसलिये दिनांक 26.09.2024 को न्यायालय हाजा द्वारा खाता संख्या नई 33 पुरानी 35 के खसरा नंबर 1331/691 रकबा 0.91 हैक्टेयर कुल किता 01 वाके ग्राम पीचूपाडा खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न वाद पत्र रहे। यह निर्णय आज दिनांक 13.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/6/25

(रामसिंह सजावत)
उपजिला कलक्टर
बांदीकुई